भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1428
(28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के लिए बजट

1428. एडवोकेट चन्द्र शेखर:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल के केंद्रीय बजट में पुरानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का बजट 60 प्रतिशत से भी अधिक घटाकर 30,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्तमान वित्त वर्ष में लम्बित कुल बकाया मज़दूरी और सामग्री घटक के बकाये का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) मंत्रालय द्वारा अंतरिम आवंटन का उपयोग करके इन पुराने बकायों का 100 प्रतिशत भुगतान करने की गारंटी दिए जाने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी हेतु 95,692.31 करोड़ रु का बजटीय प्रावधान किया गया है, जो दिनांक 01.07.2026 से 31.03.2027 की अवधि के लिए होगा। यह देश के इतिहास में किसी भी ग्रामीण रोजगार योजना के लिए बजट अनुमान चरण में किए गए अब तक के सर्वाधिक बजटीय आवंटनों में से एक है। इसके अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2026-27 के प्रथम तीन माह के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु 30,000 करोड़ रु का बजटीय प्रावधान किया गया था और तत्पश्चात 6,000 करोड़ रु का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान किया गया, जिससे वित्त वर्ष 2026-27 की उक्त अवधि के लिए योजना के अंतर्गत कुल बजटीय प्रावधान 36,000 करोड़ रु हो गया।

(ख) और (ग): चालू वित्त वर्ष 2026-27 में, मजदूरी घटक की 9,711.98 करोड़ रु की लंबित देयता जारी की गई हैं, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के मजदूरी घटक की सभी स्वीकार्य लंबित देयताएं शामिल हैं।

सामग्री घटक के लिए, मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सामग्री देयताओं के भुगतान हेतु प्रथम किश्त के रूप में 7,765.68 करोड़ रु की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसमें से ₹5,440.07 करोड़ की राशि का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अब तक उपयोग किया जा चुका है।

पूर्ववर्ती महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत लंबित देयताओं के निपटान हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। निधियों की मांग, पहले से स्वीकृत निधियों के उपयोग तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित दस्तावेजों सहित पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के आधार पर, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर निधियां जारी की जाती हैं तथा मंत्रालय प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी स्वीकार्य लंबित देयताओं का निपटान करने हेतु प्रतिबद्ध है।

01.04.2026 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देयता अनुबंध में दी गई है।

लोकसभा में दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1428 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

दिनांक 01.04.2026 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लंबित देयता

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	मजदूरी घटक	सामग्री घटक
1	आंध्र प्रदेश	475.26	2144.46
2	अरुणाचल प्रदेश	149.57	233.77
3	असम	257.60	262.09
4	बिहार	900.03	1667.20
5	छत्तीसगढ़	809.04	247.16
6	गोवा	0.08	0.00
7	गुजरात	64.18	92.11
8	हरियाणा	8.22	110.64
9	हिमाचल प्रदेश	102.56	71.87
10	जम्मू और कश्मीर	207.69	628.60
11	झारखंड	409.50	367.86
12	कर्नाटक	246.30	1015.47
13	केरल	399.13	418.80
14	लद्दाख	0.89	4.44
15	मध्य प्रदेश	736.22	985.73
16	महाराष्ट्र	714.60	1015.83
17	मणिपुर	108.59	334.02
18	मेघालय	194.81	384.72
19	मिजोरम	70.57	8.13
20	नागालैंड	46.63	118.29
21	ओडिशा	482.00	355.11
22	पंजाब	58.98	231.33
23	राजस्थान	922.81	1253.69
24	सिक्किम	1.33	24.85
25	तमिलनाडु	633.24	1152.59
26	तेलंगाना	427.09	818.34

27	त्रिपुरा	21.69	121.55
28	उत्तर प्रदेश	1169.76	2540.97
29	उत्तराखंड	92.54	146.65
30	पश्चिम बंगाल**	0.00	0.00
31	अंडमान और निकोबार	0.33	0.14
32	दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव	0.61	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	0.14	0.52
	कुल	**9711.98**	**16756.90**

* केंद्र सरकार के निर्देशों का लगातार अनुपालन न किए जाने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों को लागू करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य को निधि जारी किया जाना, 09.03.2022 से रोक दिया गया था।
राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोध तथा तत्पश्चात प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, राज्य में दिनांक 01.06.2026 से योजना का कार्यान्वयन पुनः आरंभ किया गया है।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित लंबित देयता (08.03.2022 तक) ₹3082.52 करोड़ है, जिसमें मजदूरी घटक के अंतर्गत ₹1457.22 करोड़, सामग्री घटक के अंतर्गत ₹1607.68 करोड़ तथा प्रशासनिक घटक के अंतर्गत ₹17.62 करोड़ शामिल हैं। इस देयता की स्वीकार्यता केंद्र सरकार द्वारा सत्यापन के अधीन है।